



2026:AHC:68523

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या -

1306 वर्ष 2026

विजेंद्र गुप्ता और 3 अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राहुल कुमार गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, सुभाष चंद्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदकों और अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. इस न्यायालय ने 10.2.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"1. श्री अशोक कुमार मिश्रा, श्री राहुल कुमार गुप्ता, आवेदकों के अधिवक्ता, श्री शिव दत्त शुक्ला, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. प्रस्तुत आवेदन थाना-नेबुआ, नौरंगिया, जिला कुशी नगर की धारा 115(2), 352, 351(3), 110 बी.एन.एस. के तहत केस अपराध संख्या-206 वर्ष 2025 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

3. आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि आवेदकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन किसी भी आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और बी.एन.एस. की धारा 115 (2), 352, 351(3), 110 के तहत आवेदकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाता है कि उनके क्रेडिट में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और वे जांच एजेंसी या अदालत द्वारा आवश्यक होने पर पेश होंगे और यदि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि उसे अभी तक इस मामले में निर्देश नहीं मिले हैं।

5. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदकों अर्थात् विजेंद्र गुप्ता, जय प्रकाश, आरती और काजल को उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में, निम्नलिखित शर्तों के साथ 24.03.2026 तक संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए: -

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे निर्धारित तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे। किसी भी शर्त के उल्लंघन में, अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. इस मामले को 24.03.2026 को दोपहर 02:00 बजे नए रूप में रखें।



7. इस बीच, अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्धारित अगली तारीख तक मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।

3. आज, जब मामले को बुलाया गया है, तो अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं।

4. आवेदकों के अधिवक्ता ने दिनांक 10.2.2026 के पहले के आदेश में दर्ज प्रस्तुतियों को दोहराया है।

5. आवेदकों के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदकों, जो अंतरिम अग्रिम जमानत पर हैं, ने इसके नियमों और शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि अब एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और आवेदक संबंधित अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।

7. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकों को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदकों को उन्हें दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा गया है। अब एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और आवेदकों को अब हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, हालांकि इसके लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है, जैसा कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मैं आवेदकों विजेंद्र गुप्ता, जय प्रकाश, आरती और काजल को दिनांक 10.2.2026 के आदेश में निर्धारित नियमों और शर्तों पर अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूं।

9. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

मार्च 31, 2026

सुमैरा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।